जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न अधिनियम व कानून के लिए जागरूकता कार्यक्रम

उदयपुर| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व टीईई आर फाउंडेशन नासिक के साझे में देश के 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में 'पंचायतों के प्रावधान अधिनियम', 1996 (पेसा कानून) तथा 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम', 2006 के क्रियान्वयन को लेकर अनुसंधान अध्ययन किया जा रहा है। टीएडी आयुक्त राजेन्द्र भट्ट के साथ एनसीएसटी अध्ययन दल के प्रधान अन्वेषक मिलिंद थत्ते, सह अन्वेषक सरयू जाखोटिया एवं डॉ. गजेंद्र गुप्ता ने मुलाकात की। अन्वेषण दल ने इस बात पर जोर दिया कि वनाधिकार अधिनियम के प्रावधान 3(1) के तहत प्रत्येक गांव जहां वन भूमि है, वहां सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) की प्रक्रिया पूरी हो।